

31.5.22

पत्तावली पेश हुई। वकील पदनाशन अनुपासित  
वकीलवादी व वादिनी एवं प्रतिवादीयों को न्यायालय  
समक्ष लाना आदेश दिया गया है। लेकिन कोई  
उपासित नहीं हुए। और का ही परामर्श अवसर दिने  
जाने पर प्रतिवादीयों को लामील हेतु कोर्टिल लवाना  
पेश नही किया है।

इतः वादिनी का वाद अन्तर्गत धारा 88 अ-टी. के प्रतिवादीयों  
की लामील को अभाव में प्रतिवादीयों को लवाना कोर्टिल  
पेश नही करने पर अन्तर्गत आदेश 09 नियम 05 को सहित  
ट्वारिफा किया जाता है। पत्तावली मौसल शुमार हेतु  
नम्बर के लम हेतु दाविले दफ्तर हो। निराम लुले  
न्यायालय में सुनाया गया।

उपरोक्त अधिकारी  
सौम्य लेल

